

आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन
ALL INDIA STATION MASTERS' ASSOCIATION

NEW DELHI

www.aisma.in

NDD/09



No: CEC49/SG/STRIKE/Press/1/2022

Dated: 02.04.2022

To: The CHIEF EDITOR

Sir,

Sub: Station Masters of Indian Railways of STRIKE - Reg.

(अंग्रेजी प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद)

संख्या: CEC49/SG/STRIKE/Press/1/2022

दिनांक: 02.04.2022

प्रति: मुख्य संपादक

महोदय,

विषय: भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर्स के हड़ताल - के संबंध में।

स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने 30 और 31 मार्च 2022 को दिल्ली में आयोजित अपनी केंद्रीय परिषद की बैठक में हमारी 5 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। यह आपकी सूचना और प्रकाशन के लिए है तथा आपके सम्मानजनक समाचार एजेंसी के माध्यम से जनता की जानकारी के लिए है जो 31 मई 2022 को हड़ताल के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए है। आगे कोई भी अपडेट होगा वो आपके कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाएगा।

आपका धन्यवाद

आपका आभारी

(सुनील कुमार पी)
महासचिव

SG का कैंप कार्यालय: "PRATHEEKSHA"
33/4353A (205), केएसएचबी कॉलोनी
मालापरम्बा, कोझिकोड
केरल- 673009. मोबाइल: 97474 21907
ईमेल:sunilkumarbin@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

28 मार्च 2022 को, सिकंदराबाद मंडल के VKB-PRLI खंड के घाटनंदूर में श्री मुसाफेर सिंह स्टेशन मास्टर को सीने में दर्द का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई तथा उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अनिवार्य पॉइंट्स-मैन को SW Rules नियमों के अनुसार इयूटी पर होना था, परन्तु रिक्तियों के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

30, 31 मार्च 2022 को दिल्ली में हुई केंद्रीय परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर प्रशासन और रेल मंत्री को कई बार जोर से बताया गया लेकिन सरकार ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। 4 साल बाद भी आरआरबी भर्ती ठंडे बस्ते में थी। इसलिए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद स्टेशन मास्टरों के अन्य 4 ज्वलंत मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर **हड़ताल नोटिस** जारी करने का निर्णय लिया गया। 31 मई 2022 को, सभी स्टेशन मास्टर और निरीक्षक एक दिन की छुट्टी लेकर इयूटी से दूर रहेंगे।

वे पांच मांगें जिन पर यह एसोसिएशन 31.05.2022 को अपनी हड़ताल के लिए मुख्य श्रम आयुक्त के माध्यम से भारत संघ को हड़ताल का नोटिस जारी करेगा, हैं:

- 1- रिक्तियों को भरना
- 2- बिना किसी सीमा के NDA को बहाल करें
- 3- MACP 01/01/2016 से दी जानी चाहिए है
- 4- पदनाम के परिवर्तन के साथ संवर्ग पुनर्गठन
- 5- सुरक्षा/तनाव भत्ता

ट्रेन सेवा में किसी भी तरह की अव्यवस्था और यात्रा करने वाले लोगों के लिए कठिनाई और मालगाड़ी आवाजाही के लिए रेलवे प्रबंधन एकमात्र जिम्मेदार होगा।

केंद्रीय कार्यालय: 101/102, गुप्त भवन, सरायकालेखन, नई दिल्ली- 110013